कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

प्रशासनिक आदेश संख्या /2024

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार कैलेण्डर वर्ष 2024 में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद दीवानी न्यायालय कुशीनगर स्थान पडरौना एवं बाह्य दीवानी न्यायालय, कसया, कुशीनगर में पांच दिन का स्थानीय अवकाश जिला मजिस्टेट से विचार–विमर्श करके निश्चित एवं घोषित किया जाना है। साथ ही कैलेण्डर वर्ष 2024 में वर्णित होली अवकाश दिनांक 24.03.2024 दिन रविवार को पड़ने एवं दशहरा अवकाश दिनांक 13.10.2024 दिन रविवार को पड़ने के स्थान पर दो अतिरिक्त दिवस को अवकाश के रूप में घोषित किया जा सकता है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, कुशीनगर स्थान पडरौना द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर जिला मजिस्टेट, कुशीनगर से विचार–विमर्श करके जनपद दीवानी न्यायालय कुशीनगर स्थान पडरौना एवं बाह्य दीवानी न्यायालय, कसया, कुशीनगर में निम्नलिखित स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :–

1– दिनांक 15.01.2024 दिन सोमवार – **मकर संक्रान्ति**
2– दिनांक 09.02.2024 दिन शुक्रवार – **मौनी अमावस्या**
(होली अवकाश दिनांक 24.03.2024 दिन रविवार को पड़ने के स्थान पर)
3– दिनांक 26.03.2024 दिन मंगलवार – **होली त्यौहार के साथ**
4– दिनांक 05.04.2024 दिन शुक्रवार–**अलविदा (रमजान महीने का अन्तिम शुक्रवार)**
5– दिनांक 19.08.2024 दिन सोमवार – **रक्षाबंधन**
6– दिनांक 11.10.2024 दिन शुक्रवार – **महानवमी**
(दशहरा अवकाश दिनांक 13.10.2024 दिन रविवार को पड़ने के स्थान पर)
7– दिनांक 07.11.2024 दिन वृहस्पतिवार – **सूर्यषष्टी (छठ) पूजा**

इस आदेश की प्रति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, संबंधित बार एसोसिएशन, संबंधित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ प्रेषित की जाय। साथ ही इस आदेश की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारियों के मध्य परिचालित की जाय एवं सर्वसााधरण के सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय तथा एक प्रति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर को प्रेषित की जाय।

सभी संबंधित सूचित हों।

SD/–
(अशोक कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

दिनांक/कुशीनगर।
जनवरी 11, 2024